न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2019	19.12.2019	27.07.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
2. श्रीचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
3. जिलेसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः– 1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी की ओर से।

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2021	18.03.2021	27.07.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
2. श्रीचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
3. जिलेसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

परिथतीः– 1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी की ओर से।

–::निर्णय::–

त्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 786 / 0.82 वाके ग्राम मॉढण तह.नीमराना अकृषिक उपयोग ललीत माध्यमिक विधालय मॉढण कुल रकबा 0.12 पर निर्माण कर वाणिज्यकि /ओद्योगिक प्रयोजन के रूप मे कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अव पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस संलग्न है।
2. राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।
3. अतः वाद वादी अंतर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि मे बदल दिया गया

है अत प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वाद पत्र मे वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित मे सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।

4. दूसरा दावा वादी ने इसी हाल आराजी ख.नं. 786/0.70 वाके ग्राम मॉढण तह. कीमदाना का पेश किया कि 0.70 मे स 0.70 भूमि पर अकृषिक उपयोग ललीत माध्यमिक विद्यालय मॉढण कुल रकबा पर निर्माण कर वाणिज्यकि /औद्योगिक प्रयोजन के रूप मे कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

5. राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

6. अत वाद वादी अंतर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि मे बदल दिया गया है अतः प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वाद पत्र मे वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित मे सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।की ओर से पेश किया गया कि

7. दोनो दावे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 पेश कर पूर्व पेश वाद के बाद मे पेश वाद सं. 16/2020 को पूर्व पेश वाद सं. 56/19 के कन्सोलिडेट किये जाने का किया। प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर दावा कन्सोलिडेट किया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश दिये गयें इसलिए दोनों वादों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

8. प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया कि वादी का वाद गलत है, स्वीकार नही है। ख.नं. 786/0.89 मे से 0.12 पर निर्माण कर स्कूल संचालित है राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग कमांक ए9(1)शिक्षा– 5/भूमि रूपान्तरण/ 2018 जयपुर दिनांक 04.01.2017 संदर्भ मे जिम्मन नं0 02 के उप जिम्मन 02 मे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि " ग्रामिण क्षेत्र मे कृषि भूमि या अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिपर्वतन नियम 2007 मे 01 एकड क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजन यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नही होने का प्रावधान अधिसूचना कमांक एफ6(26) राजस्व–06/2014/ 33 दिनांक 06.10.2016 द्वारा किया गया है अतः ग्रामिण क्षेत्र मे खातेदारी भूमि पर एक एकड तक संपरिवर्तन की आवश्यकता नही है उक्त आराजी के कुल रकबे मे से 12 एयर भूमि पर ही स्कूल का निर्माण किया हुआ है शेष हिस्से पर वर्तमान मे सरसों की फसल बोइ हुई है तथा कृषि हेतु उपयोग मे लिया जारहा है। मिन प्रतिवादी सं.0 01 ने अपने गांव समाज एंव क्षेत्र मे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एंव उनका भविष्य उज्ज्वल करने के लिए उक्त आराजी के कुल रकबे मे से कुछ हिस्से पर स्कूल का निर्माण किया हुआ है ताकि क्षेत्र के बच्चों को पढाई के लिए दूर नही जाना पडे।

9. ख0नं. 786/0.89 वाके ग्राम माढण बाबत एक वाद तकासाम आराजी खेमचन्द बनाम श्रीचन्द न्यायालय श्रीमान मे पेश किया गया जो वाद दिनांक 14.11.2022 को डिक्री किया जा चुका है 01 लगा. 03 का संभाग मे हे लेकिन न्यायालय श्रीमान द्वारा धारा 177 आर0टी0एक्ट0 की कार्यवाही करने से राजस्व रिकॉर्ड मे स्टे का नोट लगा हुआ है जिस कारण आदेश की पालना नही हुई है प्रतिवादी सं. 01 ने कुल 12 एयर रकबे पर स्कूल संचालित किया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा गलत एंव मिथ्या रूप से मौका रिपोर्ट पेश कि है। इसलिए वाद वादी खारिज योग्य है।

प्रतिवादी सं. 01 ने ख.नं. 786/0.89 मे 1/3 हिस्से की भूमि के संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ हे जो प्रकियाधीन है। इसलिए भी वादी का वाद काबिल खारिज है वाद खारिज फरमाया जावें।

10. वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई एंव बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दीं सं0 2075–78 के अनुसार आराजी विवादित प्रति0 की खातेदारी मे दर्ज है, राज्य सरकार के आदेश कमांक प–9(1)शिक्षा–05/भूमि रूपान्तरण/2016 दिनांक 04.01.2017 के बिन्दु सं. 02 मे उल्लेखित किया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम 2007 मे 01 एकड़ क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजन यथा विद्यालय की स्थापना हेंतु भूमि संपरिर्वतन की आवश्यकता नही होने का प्रावधान अधिसूचना कमांक एफ6(26)राजस्व–6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 द्वारा किया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्र मे खातेदारी भूमि पर एक एकड तक संपरिवर्तन की आवश्यकता नही है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप विद्यालय संचालित किया है। इसलिए वादी का वाद साबित नही होता है इसलिए वाद वादी खारिज योग्य है।

11. अतः आदेश है किः–

वाद वादी अंतगर्त धारा 177 आर0टी0एक्ट0 बाबत आ.ख.नं. 786/0.89 वाके ग्राम मॉढण तह. नीमराना सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिले लेख भंडार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
56 / 2019	19.12.2019	27.07.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
2. श्रीचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
3. जिलेसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः– 1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी की ओर से।

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2021	18.03.2021	27.07.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
2. श्रीचन्द पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।
3. जिलेसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी मंगलपुर तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः– 1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिक्री

दिनांकः27.07.2023

वाद वादी अंतगर्त धारा 177 आर0टी0एक्ट0 बाबत आ.ख.नं. 786 / 0. 89 वाके ग्राम मॉढण तह. नीमराना सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.